

किसान आंदोलन 2.0 और MSP

प्रलम्ब के लिये:

न्यूनतम समर्थन मूल्य, किसान आंदोलन 2.0 और MSP, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013, वित्त (संशोधन) अधिनियम 2020, डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट।

मेन्स के लिये:

किसान आंदोलन 2.0 और MSP, भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों का संग्रहण, विकास, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price - MSP) के लिये कानूनी गारंटी की मांग को लेकर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान 'दिल्ली चलो' वरिध प्रदर्शन में दिल्ली की ओर मार्च कर रहे हैं।

- वर्ष 2020 में किसानों ने, दिल्ली की सीमाओं पर, सरकार द्वारा पारित तीन कृषि कानूनों का वरिध किया, जिसके कारण वर्ष 2021 में उन्हें नरित कर दिया गया।
- ये कानून थे- कृषि उपज वाणजिय एवं व्यापार (संवर्धन एवं सुवधि) अधिनियम, 2020, मूल्य आश्वासन पर किसान (बंदोबस्ती और सुरक्षा) समझौता और कृषि सेवा अधिनियम, 2020, आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020

किसानों की मुख्य मांगें क्या हैं?

- किसानों के 12 सूत्रीय एजेंडे में मुख्य मांग सभी फसलों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी के लिये एक कानून और डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन (मनकोम्बु संवाशविन स्वामीनाथन) आयोग की रिपोर्ट के अनुसार फसल की कीमतों का नरिधारण करना है।
 - स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कसरकार को MSP को उत्पादन की भारत औसत लागत से कम-से-कम 50% अधिक बढ़ाना चाहिये। इसे C2+ 50% फॉर्मूला के रूप में भी जाना जाता है।
 - इसमें किसानों को 50% रटिरन देने के लिये पूंजी की अनुमानित लागत और भूमि पर करिया (जिसे 'सी2' कहा जाता है) शामिल है।
 - भूमि, श्रम और पूंजी जैसे संसाधनों के उपयोग की अवसर लागत को ध्यान में रखने के लिये अध्यारोपित लागत (imputed cost) का उपयोग किया जाता है।
 - पूंजी की अध्यारोपित लागत उस ब्याज या रटिरन को दर्शाती है जो अरजति किया जा सकता था यदि कृषि में नविश की गई पूंजी को कहीं और नविश किया जाता।
- अन्य मांगें:
 - किसानों और मज़दूरों की पूर्ण कर्र माफी;
 - भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 का कार्यान्वयन, जिसमें अधिग्रहण से पहले किसानों से लिखित सहमति और कलेक्टर दर से चार गुना मुआवज़ा देने का प्रावधान है।
 - संग्राहक दर (collector rate) वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर किसी संपत्ति को खरीदते या बेचते समय पंजीकृत किया जा सकता है। वे संपत्तियों के कम मूल्यांकन और कर चोरी को रोकने के लिये एक संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करते हैं।
 - अक्टूबर 2021 में लखीमपुर खीरी हत्याकांड के अपराधियों को सज़ा;
 - भारत को वर्ष व्यापार संगठन (World Trade Organization - WTO) से बाहर हो जाना चाहिये और सभी मुक्त व्यापार समझौतों (free trade agreements - FTAs) पर रोक लगा देनी चाहिये।
 - किसानों और खेतहिर मज़दूरों के लिये पेंशन।
 - वर्ष 2020 में दिल्ली वरिध प्रदर्शन के दौरान मरने वाले किसानों के लिये मुआवज़ा, जिसमें परिवार के एक सदस्य के लिये नौकरी भी शामिल है।

सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

- नवंबर 2021 में भारत सरकार ने तीन कृषिकानूनों को रद्द करने के बाद MSP पर एक समतिबिनाने की घोषणा की। इसका उद्देश्य MSP पर चर्चा करना, [ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग](#) को बढ़ावा देना और फसल पैटर्न पर नरिणय लेना था। इस समतिकि गठन जुलाई 2022 में कयिा गया था और इसने अब तक कोई रपिर्ट नहीं दी है।
- कैबिनेट मंत्रयिों और कसिान संघ के नेताओं के बीच हाल ही में हुई बैठक के दौरान सरकार नेकृषि, ग्रामीण तथा पशुपालन मंत्रालयों के प्रतनिधिओं के साथ एक नई समतिबिनाने की पेशकश की।
- यह समतिकिसिानों की सभी फसलों के लयिे MSP की मांग का समाधान करेगी। सरकार ने वादा कयिा कयिह नई समतिनियमति रूप से बैठक करेगी और नरिधारति समय सीमा के भीतर काम करेगी।

MSP के कानून में क्या चुनौतयिाँ हैं?

- **जबरन खरीद (Forced Procurement):**
 - सरकार को **MSP पर सभी उपज खरीदने का आदेश** देने से अत्यधिक उत्पादन हो सकता है, जसिसे संसाधनों की बर्बादी और भंडारण की समस्या हो सकती है।
 - यह **फसल पैटर्न को भी विकृत(distort) कर सकता** है क्योंकि कसिान अन्य फसलों की तुलना में MSP वाली फसलों को प्राथमकिता दे सकते हैं, जसिसे जैववविधिता और मटिटी के स्वास्थय पर असर पड़ सकता है।
 - यदि सरकार को उपज खरीदनी पड़ती है क्योंकि MSP की पेशकश करने वाला कोई खरीददार नहीं है, तो उसके पासबड़ी मात्रा में भंडारण करने और बेचने के लयिे संसाधन नहीं हैं।
- **कसिानों का आपसी भेदभाव (Discrimination Among Farmers):**
 - ऐसा कानून समर्थति फसलें उगाने वाले कसिानों और अन्य फसलें उगाने वाले कसिानों के बीच असमानता पैदा कर सकता है।
 - बिना समर्थन वाली फसलें उगाने वाले कसिानों को बाज़ार पहुँच औरसरकारी समर्थन के मामले में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।
- **व्यापारयिों का दबाव (Pressure From Traders):**
 - फसल कटाई के दौरान, कृषिउपज की कीमतें आमतौर पर सबसे कम होती हैं, जसिसे नजिी व्यापारयिों को फायदा होता है जो इस समय खरीदारी करते हैं। इस वजह से, नजिी व्यापारी MSP के कसिी भी कानूनी आश्वासन का वरिध करते हैं।
- **वत्तिीय बोझ (financial burden):**
 - सभी फसलों को MSP पर खरीदने की बाध्यता के कारण बकाया भुगतान और राजकोषीय चुनौतयिों का सामना करना पड़ सकता है।
- **सामाजकि नहितिारथ (Societal Implications):**
 - विकृत फसल पैटर्न और अत्यधिक खरीद के व्यापक सामाजकि प्रभाव हो सकते हैं, जो खाद्य सुरक्षा, पर्यावरणीय स्थरिता तथा समग्र आर्थकि स्थरिता को प्रभावति कर सकते हैं।

MSP को कानूनी रूप देने के बजाय कसिानों की आय की रक्षा के लयिे क्या पहल की जा सकती है?

- वशिषज्ज केवल MSP पर नरिभर रहने के बजाय कसिानों को सीधे पैसा देने का सुझाव देते हैं। इस तरह, कसिानों को स्थरि आय मलिति है, चाहे बाज़ार कैसा भी हो।
 - इसका संबंध कुछ फसलों के लयिे कीमतों की गारंटी देने के बजाय कसिानों के पास पर्याप्त पैसा नहीं होने की बड़ी समस्या को ठीक करने से है।
- **प्रत्यक्ष आय सहायता को लागू करने में वभिनिन रणनीतयिाँ** शामिल हो सकती हैं, जैसे कऱि:
 - **प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण:** कसिानों को उनकी आय बढ़ाने और वत्तिीय तनाव कम करने के लयिे सीधे नकद भुगतान प्रदान करना।
 - सरकार पूरे मूल्य समर्थन पैकेज और उर्वरक सब्सिडी को शामिल करके तथा राजस्व-तटस्थ तरीके से कसिानों को बहुत अधिकि पीएम-कसिान भुगतान में [PM- कसिान योजना](#) का वसितार करने के बारे में सोच सकती है।
 - यह योजना वर्तमान में कसिानों को प्रतविरष 6000 रुपए सीधे नकद भुगतान प्रदान करती है।
 - **बीमा योजनाएँ:**
 - ऐसी बीमा योजनाएँ शुरू करना जो फसल की वफिलता, मूल्य अस्थरिता या प्रतकिल मौसमीय स्थति जैसे कारकों के कारण कसिानों की आय के नुकसान की भरपाई करती हैं।
 - कृषिआदानों (inputs), उपकरणों, प्रौद्योगिकि अपनाने और उच्च मूल्य वाली फसलों या वैकल्पकि आजीवकि में वविधिीकरण का समर्थन करने के लयिे सब्सिडी या अनुदान की पेशकश करना।
 - **मूल्य-अंतरण भुगतान वकिल्प:** सरकार MSP और कसिानों द्वारा बेची जाने वाली दर के बीच मूल्य अंतर का भुगतान करने पर भी वचिार कर सकती है।
 - हरयिाणा और मध्य प्रदेश ने [भावांतर भरपाई योजना](#) (मूल्य-अंतरण मुआवज़ा योजना) नामक योजना के तहत इस वकिल्प को लागू कयिा है।
 - मध्यप्रदेश की 'भावांतर भुगतान योजना' के तहत कसिानों को भुगतान औसत बाज़ार मूल्य और फसलों के MSP के बीच के अंतर को कवर करता है। यदि कसिानों को खुले बाज़ार में MSP से नीचे अपनी उपज बेचनी पड़ी, तो उन्हें मुआवज़ा दयिा गया।

WTO और FTA से संबंधति कसिानों की चतिाएँ क्या हैं?

- **बाज़ार तक पहुँच:**
 - किसानों को चिंता है कि FTA और WTO नियमों से सस्ते कृषिआयात से प्रतस्पर्धा बढ़ जाएगी, जिससे घरेलू कीमतें कम हो सकती हैं तथा स्थानीय उत्पादकों को नुकसान हो सकता है।
 - किसान इन समझौतों को छोटे और मध्यम आकार के किसानों के बजाय बहुराष्ट्रीय नगियों तथा बड़े पैमाने के कृषिव्यवसायों के पक्ष में मानते हैं।
- **आयात वस्तुएँ:**
 - इन समझौतों से अन्य देशों से सब्सिडी वाले कृषिउत्पादों की आमद होती है, जिससे घरेलू बाज़ार में बाढ़ आ सकती है और स्थानीय रूप से उत्पादित फसलों की कीमतें कम हो सकती हैं।
 - इससे भारतीय किसानों के लिये प्रतस्पर्धा करना और अपनी आजीविका बनाए रखना मुश्किल हो सकता है।
- **कृषिपद्धतियों पर प्रभाव:**
 - अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौते कृषिपद्धतियों पर ऐसे नियम या मानक भी लागू करते हैं जन्हें भारतीय किसान अपनी पारंपरिक खेती पद्धतियों के साथ बोज़लिया असंगत पाते हैं।
 - इसमें कीटनाशकों के उपयोग, आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव या पर्यावरण मानकों से संबंधित आवश्यकताएँ शामिल हो सकती हैं।
- **संप्रभुता और स्वायत्तता:**
 - कुछ किसान WTO से हटने तथा मुक्त व्यापार समझौतों पर अंकुश लगाने को भारत की कृषिनीतियों पर संपूर्ण प्रभुत्व और नियंत्रण हासिल करने के एक तरीके के रूप में देखते हैं।
 - उनका तर्क है कि ऐसे समझौते लघु पैमाने के किसानों के हितों को प्राथमिकता देने वाली नीतियों के कार्यान्वयन और नागरिकों के लिये खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में सरकार की क्षमता को सीमित करते हैं।

MSP और किसानों की मांग की वर्तमान स्थितिक्या है?

- **मौजूदा MSP बनाम कृषकों की मांगे:**
 - रबी मार्केटिंग सीज़न 2024-25 के लिये सरकार द्वारा निर्धारित गेहूँ का MSP 2,275 रुपए प्रतिक्वटिल निर्धारित किया गया है जो किसानों द्वारा मांगी गई लागत यानी C2 प्लस 50% से अधिक है।
 - हालाँकि MSP A2+FL फॉर्मूला पर आधारित है जिसमें केवल किसानों द्वारा भुगतान की गई लागत शामिल है जिसके परिणामस्वरूप C2 प्लस 50% की तुलना में MSP कम है।
- **CACP की अनुशंसाएँ और कार्यपरणाली:**
 - कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) A2+FL फॉर्मूले के आधार पर MSP निर्धारित करने की अनुशंसा करता है जिसमें केवल भुगतान की गई लागत तथा पारिवारिक श्रम का अनुमानित मूल्य शामिल होता है।
 - यह C2 फॉर्मूले से भिन्न है जिसमें किसान के स्वामित्व वाली भूमि के करिये और स्थिर पूंजी पर ब्याज़ जैसे अतिरिक्त कारक शामिल हैं।
- **उत्पादन लागत पर रटिर्न:**
 - पंजाब में गेहूँ का उत्पादन लागत (C2) 1,503 रुपए प्रतिक्वटिल है जबकि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2,275 रुपए प्रतिक्वटिल है।
 - इसका अर्थ यह है कि किसानों को उत्पादन लागत से 772 रुपए प्रतिक्वटिल अधिक मलित है जो उत्पादन लागत पर 51.36% का रटिर्न दर्शाता है।
 - इसी प्रकार पंजाब में धान की उत्पादन लागत पर रटिर्न 49% का था और A2+FL पर यह 152% था।

वर्श्व भर में किसान वरिध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं?

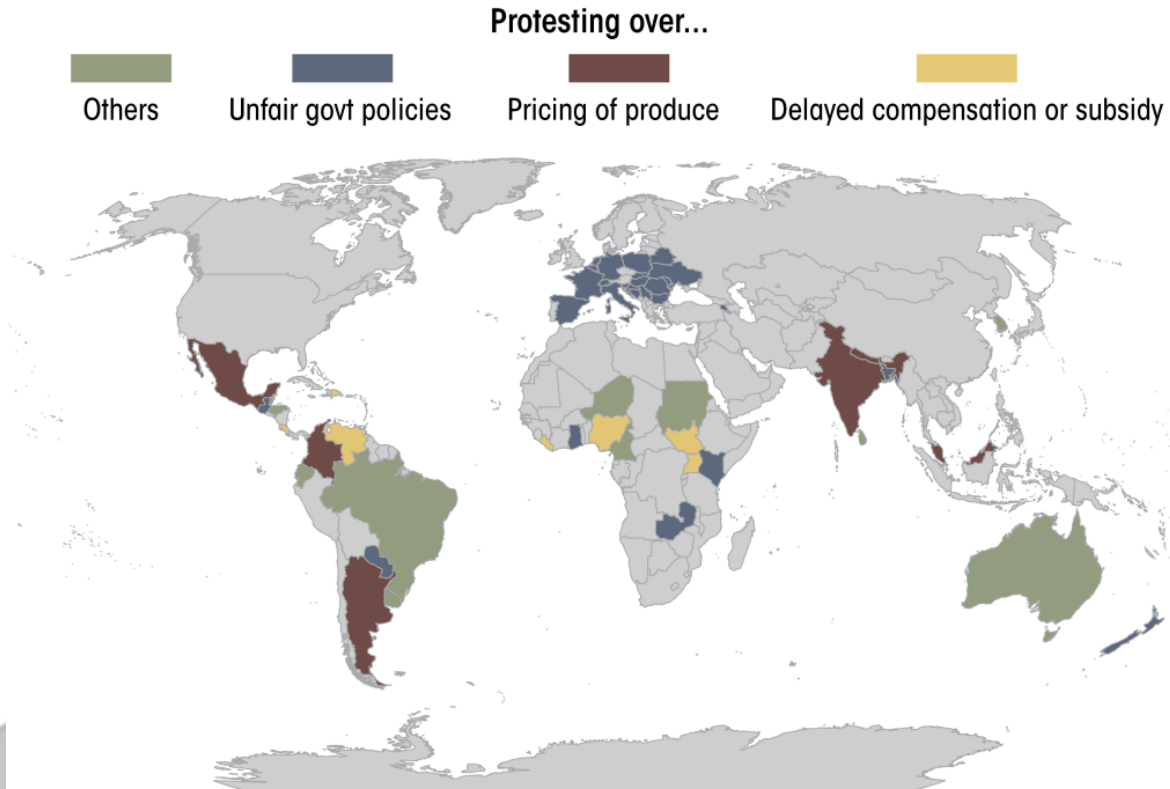
- **दक्षिण अमेरिका:**
 - किसान नरियात के लिये प्रतिकूल वनिमिय दर, अधरिपति उच्च कर, आर्थिक मंदी और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं जैसे कारकों के कारण वरिध कर रहे हैं जनिसे फसलें प्रभावित होती हैं तथा कृषिउत्पादन कम होता है।
 - ब्राज़ील में कृषक वर्ग आनुवंशिक रूप से संशोधित मक्का के परिणामस्वरूप होने वाली अनुचित प्रतस्पर्धा के वरिध वरिध प्रदर्शन कर रहे हैं।
 - वेनेज़ुएला में किसान सहायिकी युक्त डीज़ल की मांग कर रहे हैं।
 - कोलंबियाई धान उत्पादक अपनी फसल के लिये कीमतों में वृद्धिकरने की मांग कर रहे हैं।
- **यूरोप:**
 - किसान फसल की कम कीमतों, बढ़ती लागत, अल्प लागत वाले आयात और यूरोपीय संघ द्वारा अधरिपति सख्त पर्यावरण नियमों का वरिध कर रहे हैं।
 - फ्राँस में अल्प लागत वाले आयात, अपर्याप्त सहायिकी और उच्च उत्पादन लागत के वरिध वरिध प्रदर्शन किये जा रहे हैं।
- **उत्तर और मध्य अमेरिका:**
 - मैक्सिकन किसान मक्के और गेहूँ की फसल के लिये दिये जाने वाले अनुचित कीमतों का वरिध कर रहे हैं जबकि कोस्टा रिका के किसान कर्ज़ के बोझ से छुटकारा पाने के लिये अधिक सरकारी सहायता की मांग कर रहे हैं।
 - मेक्सिको के चहुआहुआ प्रांत में संयुक्त राज्य अमेरिका को सीमति जल आपूर्ति नरियात करने की योजना पर वरिध प्रदर्शन हुआ।
- **एशिया:**
 - भारतीय किसान फसल की गारंटीकृत कीमतों, आय दोगुनी करने और ऋण माफी की मांग को लेकर वरिध प्रदर्शन कर रहे हैं।
 - नेपाल में आयातित भारतीय सब्ज़ियों की अनुचित कीमतों के कारण वरिध प्रदर्शन किया जा रहा है।
 - मलेशियाई और नेपाली किसान क्रमशः चावल तथा गन्ने की कम कीमतों का वरिध कर रहे हैं।

■ ओशनिया:

- न्यूज़ीलैंड के किसान खाद्य उत्पादकों को प्रभावित करने वाले सरकारी नियमों का वरोध करते हैं जबकि ऑस्ट्रेलियाई किसान अपनी कृषि भूमि से गुज़रने वाली हाई-वोल्टेज वदियुत लाइनों का वरोध कर रहे हैं।

FARM PROTESTS GLOBALLY

Since 2023, at least 65 countries have reported protests organised by agricultural workers with reasons ranging from minimum support price like in India, to unfair governmental policies — like in Europe — to outright displacement or eviction of farmers as seen in Benin or Sudan in Africa



Source: Media reports

Down To Earth

न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है?

■ परिचय:

- MSP वह गारंटीकृत राशि है जो किसानों को तब दी जाती है जब सरकार उनकी फसल खरीदती है।
- MSP [कृषि लागत और मूल्य आयोग \(Commission for Agricultural Costs and Prices- CACP\)](#) की सफारिशों पर आधारित है, जो उत्पादन लागत, मांग तथा आपूर्ति, बाज़ार मूल्य रुझान, अंतर-फसल मूल्य समानता आदि जैसे विभिन्न कारकों पर विचार करता है।
 - CACP कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। इसका गठन जनवरी 1965 में किया गया।
- भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में [आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति \(CCEA\)](#) MSP के स्तर पर अंतिम निर्णय (अनुमोदन) लेती है।
- MSP का उद्देश्य उत्पादकों को उनकी फसल के लिये लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना और [फसल विविधीकरण](#) को प्रोत्साहित करना है।

■ MSP के तहत फसलें:

- CACP, [22 अधिष्टित फसलें \(Mandated Crops\)](#) के लिये MSP और गन्ने के लिये [उचित तथा लाभकारी मूल्य \(FRP\)](#) की सफारिश करता है।
- अधिष्टित फसलों में खरीफ सीज़न की 14 फसलें, [6 रबी फसलें](#) और 2 अन्य वाणिज्यिक फसलें शामिल हैं।

■ उत्पादन लागत के तीन प्रकार:

- CACP प्रत्येक फसल के लिये राज्य और अखिल भारतीय औसत स्तर पर तीन प्रकार की उत्पादन लागत का अनुमान लगाता है।
 - 'A2': इसके तहत किसान द्वारा बीज, उर्वरकों, कीटनाशकों, श्रम, पट्टे पर ली गई भूमि, ईंधन, संचाई आदि पर किये गए प्रत्यक्ष व्यय को शामिल किया जाता है।
 - A2+FL': इसके तहत 'A2' के साथ-साथ अवैतनिक पारिवारिक श्रम का एक अधिपति मूल्य शामिल किया जाता है।
 - 'C2': यह एक अधिक व्यापक लागत है, क्योंकि इसके अंतर्गत 'A2+FL' में किसान की स्वामित्व वाली भूमि और स्थिर संपत्ति के करिए तथा ब्याज को भी शामिल किया जाता है।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की सफारिश करते समय CACP द्वारा 'A2+FL' और 'C2' दोनों लागतों पर विचार किया जाता है।
 - CACP द्वारा 'A2+FL' लागत की ही गणना प्रतफल के लिये की जाती है।
 - जबकि 'C2' लागत का उपयोग CACP द्वारा मुख्य रूप से बैचमार्क लागत के रूप में किया जाता है, यह देखने के लिये किया उनके द्वारा अनुशंसित MSP कम-से-कम कुछ प्रमुख उत्पादक राज्यों में इन लागतों को कवर करते हैं।
- **MSP की आवश्यकता:**
 - वर्ष 2014 और वर्ष 2015 में लगातार दो सूखे (Droughts) कघटनाओं के कारण किसानों को वर्ष 2014 के बाद से वस्तु की कीमतों में लगातार गिरावट का सामना करना पड़ा।
 - **वमिदरीकरण (Demonetisation) एवं 'वस्तु एवं सेवा कर'** ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था, मुख्य रूप से गैर-कृषि क्षेत्र के साथ-साथ कृषि क्षेत्र को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।
 - वर्ष 2016-17 के बाद अर्थव्यवस्था में जारी मंदी और उसके बाद कोवडि महामारी के कारण अधिकांश किसानों के लिये परदृश्य विकट बना हुआ है।
 - डीज़ल, बजिली एवं उर्वरकों के लिये उच्च इनपुट कीमतों ने उनके संकट को और बढ़ाया है।
 - यह सुनिश्चित करता है किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिले, जिससे कृषिसंकट एवं निर्धनता को कम करने में मदद मिलती है। यह उन राज्यों में विशेष रूप से प्रमुख है जहाँ कृषि आजीविका का एक प्रमुख स्रोत है।



₹ न्यूनतम समर्थन मूल्य Minimum Support Price (MSP)

वह दर जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है; किसानों द्वारा वहाँ किये गए उत्पादन लागत के कम-से-कम 1.5 गुणा की गणना के आधार पर

❖ सिफारिश:

❖ 'कृषि लागत और मूल्य आयोग' (CACP) द्वारा सरकार को 22 अधिदिष्ट फसलों के लिये 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' (MSP) तथा गन्ने के लिये 'उचित और लाभकारी मूल्य' (FRP) की सिफारिश की जाती है।

❖ 22 अधिदिष्ट फसलें :

(14 खरीफ, 6 रबी और 2 अन्य वाणिज्यिक फसलें)

❖ 7 अनाज- धान, गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी

❖ 5 दालें- चना, अरहर/तूर, मूंग, उड़द और मसूर

❖ 7 तिलहन- मूंगफली, सफेद सरसों/सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुंभ और रामतिल

❖ कच्चा कपास

❖ कच्चा जूट

❖ नारियल/गरी (कोपरा)

MSP वह मूल्य है जिस पर सरकार को किसानों से अधिदिष्ट फसलों की खरीद करनी होती है, यदि बाजार मूल्य इससे कम हो जाता है

❖ MSP की सिफारिश में प्रयुक्त कारक:

❖ फसल की खेती में आने वाली लागत

❖ फसल के लिये आपूर्ति एवं मांग की स्थिति

❖ बाजार मूल्य प्रवृत्तियाँ

❖ अंतर-फसल मूल्य समता

❖ उपभोक्ताओं के लिये निहितार्थ (मुद्रास्फीति)

❖ पर्यावरण (मिट्टी तथा पानी के उपयोग)

❖ कृषि एवं गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तें

❖ MSP की सिफारिश करते समय CACP द्वारा 'A2+FL' और 'C2' दोनों लागतों पर विचार किया जाता है।

❖ MSP का कोई वैधानिक समर्थन प्राप्त नहीं है - कोई भी किसान अधिकार के रूप में MSP की मांग नहीं कर सकता है

भारत में MSP व्यवस्था से संबद्ध समस्याएँ:

■ सीमिता:

- 23 फसलों के लिये MSP की आधिकारिक घोषणा के विपरीत केवल दो- चावल और गेहूँ की खरीद की जाती है क्योंकि इनहीं दोनों खाद्यान्नों का वितरण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत किया जाता है। शेष अन्य फसलों के लिये यह अधिकांशतः तदर्थ व महत्वहीन ही है।
- शेष अन्य फसलों के लिये यह अधिकांशतः तदर्थ व महत्वहीन है। इसका अर्थ यह है कि गैर-लक्षित फसलें उगाने वाले अधिकांश किसानों को MSP से लाभ नहीं मिलता है।

■ अप्रभावी कार्यान्वयन:

- वर्ष 2015 की शांता कुमार समिति की रिपोर्ट के अनुसार किसानों को MSP का मात्र 6% ही प्राप्त हुआ।
- जिसका अर्थ यह है कि देश के 94% किसान MSP के लाभ से वंचित रहे। इसका मुख्य कारण किसानों के लिये अपर्याप्त खरीद तंत्र और बाज़ार पहुँच है।

■ प्रवण फसल का प्रभुत्व:

- चावल और गेहूँ के लिये MSP पर ध्यान केंद्रित करने से इन दो प्रमुख खाद्य पदार्थों के पक्ष में फसल पैटर्न में बदलाव आया है। इन फसलों पर अत्यधिक बल देने से पारस्थितिक, आर्थिक और पोषण संबंधी प्रभाव पड़ सकते हैं।
- यह बाज़ार की मांगों के अनुरूप नहीं हो सकता है, जिससे किसानों के लिये आय की संभावना सीमित हो सकती है।

■ बचौलियों पर निर्भरता:

- MSP-आधारित खरीद प्रणाली में प्रायः बचौलिया, कमीशन एजेंट और कृषि उपज बाज़ार समितियों (APMC) के अधिकारी जैसे बचौलिया शामिल होते हैं।
- विशेष रूप से छोटे किसानों के लिये इन चैनलों तक पहुँच चुनौतीपूर्ण हो सकती है, जिससे अक्षमताएँ उत्पन्न होंगी और उनके लिये लाभ कम हो जाएगा।

■ सरकार पर बोझ:

- सरकार MSP समर्थित फसलों के बफर स्टॉक की खरीद और रखरखाव में एक वृहत वित्तीय बोझ उठाती है। इससे उन संसाधनों का विलीन हो जाता है जिन्हें अन्य कृषि या ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिये आवंटित किया जा सकता है।

आगे की राह

- फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने और चावल व गेहूँ के प्रभुत्व को कम करने के लिये सरकार धीरे-धीरे MSP समर्थन हेतु पात्र फसलों की सूची का विस्तार कर सकती है। इससे किसानों को अधिक विकल्प मिलेंगे और बाज़ार की मांग के अनुरूप फसलों की खेती को बढ़ावा मिलेगा।
- MSP मुद्दे का समाधान करने के लिये एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें किसानों के हितों और व्यापक आर्थिक नहितार्थ कोई शामिल किया जाना चाहिये।
 - MSP पर किलन पद्धति पर पुनः विचार करने और MSP निर्धारित करने के लिये एक नृषिपक्ष तथा पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने से किसानों द्वारा उठाई गई कुछ चिंताओं को दूर करने में मदद मिल सकती है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?????????:

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2020)

1. सभी अनाजों, दालों एवं तिलहनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर प्रापण भारत के किसी भी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश (यू.टी.) में असीमिति होता है।
2. अनाजों एवं दालों का MSP किसी भी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में उस स्तर पर निर्धारित किया जाता है, जिस स्तर पर बाज़ार मूल्य कभी नहीं पहुँच पाते।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: d

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2023)

1. भारत सरकार काले तलि नाइजर (गुइज़ोटिया एबसिनिका) के बीजों के लिये न्यूनतम समर्थन कीमत उपलब्ध कराती है।
2. काले तलि की खेती खरीफ की फसल के रूप में की जाती है।
3. भारत के कुछ जनजातीय लोग काले तलि के बीजों का तेल भोजन पकाने के लिये प्रयोग में लाते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) सभी तीन
- (d) कोई भी नहीं

उत्तर: (c)

??????:

प्रश्न. न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) से आप क्या समझते हैं? न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषकों का नमिन आय फंदे से किस प्रकार बचाव करेगा? (2018)

प्रश्न. सहायकियाँ सस्यन प्रतृप, सस्य वविधिता और कृषकों की आर्थिक स्थितिकिसि प्रकार प्रभावति करती है? लघु और सीमांत कृषकों के लिये फसल बीमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा खाद्य प्रसंस्करण का क्या महत्त्व है? (2017)

प्रश्न. धान-गेहूँ प्रणाली को सफल बनाने के लिये कौन-से प्रमुख कारक उत्तरदायी हैं? इस सफलता के बावजूद यह प्रणाली भारत में अभिशाप कैसे बन गई है? (2020)

प्रश्न. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी.बी.टी.) के द्वारा कीमत सहायिकी का प्रतस्थिापन भारत में सहायकियों के परदृश्य का किस प्रकार परिवर्तन कर सकता है? चर्चा कीजिये। (2015)

प्रश्न. वशिव व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ) एक महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जहाँ लिये गए नरिणय देशों को गहराई से प्रभावति करते हैं। डब्ल्यू.टी.ओ का क्या अधदिश (मैंडेट) है और उसके नरिणय किस प्रकार बंधनकारी हैं? खाद्य सुरक्षा पर वचिर-वमिर्श के पछिले चक्र पर भारत के दृढ़-मत का समालोचनात्मक वशिलेषण कीजिये। (2014)